बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक– BRRDA(HQ)-MMGSY-602/2017 429 / पटना, दिनांक– 18.5.18

प्रेषक,

संजय कुमार, भा०प्र०से०
अपर सचिव,
ग्रामीण कार्य विभाग।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

विषय : मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए योजना शीर्ष 4515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय उप मुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–103–ग्राम विकास–उप शीर्ष–0113 (सामान्य), अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–लघुशीर्ष–789–उप शीर्ष–0104 एवं जनजातीय क्षेत्र उप योजना–लघुशीर्ष–796–उप शीर्ष–0109 के अन्तर्गत प्रत्येक योजना के निर्माण कार्य हेतु सूची के स्तम्भ–9 में अंकित राशि का प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किये जाने के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष **2017–18** (अनुसूचित जाति) के लिए कार्य प्रमंडल, पटना के अधीन 01 (एक) योजना के निर्माण एवं पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य सहित निम्न तालिका के स्तम्भ–9 मे अंकित राशि का प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया जाता है।

Sl No.	Division	Block	Category	Name of Road	Priority no of core network	Length (In km)	Total Population Served	Administrative Approval Amount (In Lakhs)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Patna	Bakhtiyarpur	SC	PMGSY Gyaspur Mahaji To Yadav Toli	3	3.018	2082	241.802
			Total			**3.018**	**2082**	**241.802**

2. विभागीय सचिव द्वारा दिनांक **19.04.2018** को निम्न शर्तों के साथ इस योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है:–

(क) इस योजना को दो वित्तीय वर्ष, अर्थात वर्ष **2018–19** एवं वर्ष **2019–20** में पूरा किये जाने का लक्ष्य है।

(ख) कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, पटना योजना के विस्तृत कार्य योजना तैयार करेंगे तथा उसके अनुरूप कार्यों को समयबद्ध ढंग से पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे।

(ग) स्वीकृत योजना की प्रविष्टि State Core Network के मानचित्र पर भी कर लिया जायेगा।

(घ) कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, पटना सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत पथ किसी अन्य योजना के अन्तर्गत सम्मिलित नहीं है।

3. कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, पटना योजना के कार्य सम्पादन हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे।

4. कार्य ई–निविदा के माध्यम से Standard Bidding Document के आधार पर कराया जायेगा।

5. कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की जिम्मेवारी संबंधित कार्यपालक अभियंता की होगी। किये गये कार्यों का भुगतान गुणवत्ता के जाँच फल के गुण–दोष के आधार पर किया जायेगा।

6. कार्यो का क्रियान्वयन मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना की मार्गदर्शिका के आलोक में किया जायेगा।

7. योजनाओं के कार्यान्वयन के पूर्व डी०पी०आर० पर सक्षम पदाधिकारी से प्रावैधिक स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी।

8. योजनाओं की तकनीकी स्वीकृति प्रदान किये जाने के क्रम में प्रावधानित प्रत्येक मद की संभाव्यता की जाँच सक्षम प्राधिकार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

RK

9. योजना शीर्ष 4515—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय उप मुख्य शीर्ष—00—लघु शीर्ष—103—ग्राम विकास—उप शीर्ष—0113 (सामान्य), अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना—लघुशीर्ष—789—उप शीर्ष—0104 एवं जनजातीय क्षेत्र उप योजना—लघुशीर्ष—796—उप शीर्ष—0109 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017—18 के लिए उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

10. कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, पटना द्वारा योजना का वित्तीय एवं भौतिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह की पाँच ता0 तक ऑनलाईन प्रविष्टि कराते हुए अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता के माध्यम से विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे।

11. इस योजना की स्वीकृति सक्षम प्राधिकार, विभागीय सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा दिनांक—19.04.2018 को संचिका संख्या BRRDA(HQ)-MMGSY-602/2017के पृष्ठ—24/टि0 पर प्राप्त है।

12. इस योजना मद में व्यय 2017—18 में बजटीय उपबंध से किया जायेगा, जिसकी निकासी कर PL खाता में रखा जा चुका है। इसी राशि से इन योजनाओं का कार्यान्वयन कराया जायेगा।

13. बिहार कोषागार संहिता में निहित प्रावधानों के आलोक में बजट प्रावधान के अन्तर्गत ही राशि की निकासी की जाय।

14. यह राशि उसी मद से खर्च की जायेगी, जिसके लिए पुर्नविनियोजित की गयी है, अन्य मद से नही।

15. प्राक्कलन कि विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समयावधि के अन्दर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाय।

16. योजना के कार्यान्वयन के क्रम में इनका निर्धारित निरीक्षण (नियमित अन्तराल पर) अनिवार्य रूप से किया जाय तथा प्रतिवेदन अभिलेखबद्ध किया जाय।

17. वित्त विभाग की संकल्प संख्या एम—4—53/2007—3758 वि0, दिनांक—31.05.2017 में निहित निदेशों का अक्षरशः पालन किया जाय तथा बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में योजना में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जाय।

18. यह आदेश वित्त विभाग की संकल्प संख्या एम—4—53/2007—3758 वि0, दिनांक 31.05.2017 की कंडिका—4 (क) में निहित प्रावधान के आलोक में एवं संचिका संख्या BRRDA(HQ)-MMGSY-602/2017 के पृष्ठ—24/टि0 पर दिनांक—19.04.2018 को विभागीय सचिव के आदेशानुसार प्रदत्त प्रशासनिक स्वीकृति तथा आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जा रहा है। आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या—BRRDA(HQ)-MMGSY- 602/2017 पृष्ठ संख्या—.....28...... /टि0 पर दिनांक 14.5.18 को प्राप्त है।

विश्वासभाजन

16.5.18

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः BRRDA(HQ)-MMGSY-602/2017 - 429 /पटना, दिनांक— 18.5.18

प्रतिलिपिः— माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव, प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (आय—व्यय शाखा)/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग/प्रमण्डलीय आयुक्त, **पटना**/जिला पदाधिकारी, **पटना**/उप विकास आयुक्त, **पटना** /अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना/अवर सचिव, बजट शाखा, ग्रामीण कार्य विभाग/मुख्य अभियंता—1, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना/मुख्य अभियंता—4/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, **पटना**/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, **पटना** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित तथा IT Manager, ग्रामीण कार्य विभाग को विभाग के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

16.5.18

सरकार के अपर सचिव